



डॉ० अनीता सिंह

## ग्रामीण महिलाओं के जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव

प्राचार्य-बी०बी०एम०बी०जी० कन्या महाविद्यालय, विहार, पटना (बिहार) भारत

Received-15.11.2024,

Revised-22.11.2024,

Accepted-28.11.2024

E-mail : akbr786ali888@gmail.com

**सारांश:** हरित क्रांति की रणनीति अपनाने के फलस्वरूप हुए प्रौद्योगिकी को परिवर्तन से महिलाओं के जीवन पर पढ़ें प्रभावों को देखना है। हरित क्रांति, दक्षिण एशियाई इतिहास में बहस का एक बड़ा मुद्दा है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं— प्रभावी भूमि सुधार, अधिक उत्पादक किस्मों के बीज और जल का संचय, भूमि जल के विकास सहित सिंचाई की सुविधा, सामाज्य क्षेत्र का विकास, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल, कीटनाशकों का उपयोग, कृषि ऋण की सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण यातायात और बाजार, कृषि मशीनीकरण तथा कृषि विद्यविद्यालय की स्थापना। हरित क्रांति के प्रभाव ने राज्यों के बीच तथा उनके अंदर क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा की। साथ ही साथ उसकी वजह से कृषि के व्यवसायीकरण, बड़े किसानों का उदय, बहनी किसानों के छोटे से समूह के पास भूमि का कॉन्फ्रीकरण, भूमिहीन भजदूर, स्थापित भजदूर तथा ग्रामीण महिलाओं का तबका भी तैयार हुआ।

**कुंजीभूत शब्द— ग्रामीण महिला, प्रौद्योगिकी, हरित क्रांति, प्रभावी भूमि सुधार, कृषि ऋण, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार, मशीनीकरण**

विश्व की 1.3 अरब गरीब आबादी में से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। वह दुनिया की खाद्य सामग्री के 50 प्रतिशत का उत्पादन करती हैं जबकि बदले में उन्हें मात्र 10 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम संसाधनों का उपयोग करती हैं और पुरुषों की तुलना में उन संसाधनों पर उनका स्वामित्व भी कम है। यहां तक कि जिस संपत्ति पर उनका स्वामित्व होता भी है, प्रायः उसका रख-रखाव और नियंत्रण भी परिवार पुरुष सदस्यों के पास होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान 72 प्रतिशत है। संविधान द्वारा जेंदर के आधार पर समानता दिए जाने के बावजूद महिलाएं सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के प्रत्येक समूह में पुरुषों की अपेक्षा पीछे छूटी हुई हैं। कारोबारी और गैरबाजारी गतिविधियों में क्षेत्रवार महिलाओं और पुरुषों के काम के घंटे की तुलना करने पर पता चलता है कि महिलाओं के काम के घंटे पुरुषों की तुलना में ज्यादा होते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक बड़ा सत्य है।

प्रौद्योगिकी परिवर्तन उन यांत्रिक खोजों को इंगित करता है, जिनसे किसी विशेष काम के होने के तरीके प्रभावित होते हैं, ये तकनीकी खोज सामाजिक संबंधों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी होती हैं। इसके कारण, जो आविष्कार उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रभावित करते हैं वही व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को तथा बाजारी शक्तियों के उदय एवं ग्रामीण समाज की संरचनाओं को भी प्रभावित करते हैं।

हमारा यह मानना है कि तीसरी दुनिया के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अधीनता के दो पहलू हैं। पहला, महिलाएं उन परिवारों की सदस्य होती हैं, जिनका भूमि पर मालिकाना हक में, उत्पादन के अन्य साधनों में तथा मजदूरी आय में अंतर होता है। इसलिए उनके काम करने की स्थितियां जमीन और आजीविका के संदर्भ में परिवारिक आजीविका की रणनीतियों पर निर्भर होती हैं। भूस्वामित्व तथा कृषि उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, विभिन्न ग्रामीण परिवारों और उनमें महिलाओं द्वारा किए जाने वाले काम को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा, ग्रामीण परिवार, समानता पर आधारित सामाजिक इकाइयां नहीं होता है, बल्कि ये लिंग तथा उम्र के प्रभुत्व और अधीनता के संबंधों पर टिके सामाजिक ढांचे हैं।

महिलाओं की अधीनता सामाज्य तौर पर श्रम के लिंग आधारित विभाजन द्वारा प्रकट होती हैं (आमतौर पर महिलाएं भोजन बनाने, ईंधन और पानी इकट्ठा करने, बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसके अलावा घर के बाहर जो काम वह कर सकती हैं उसके लिए भी वह जिम्मेदार होती हैं), बच्चों की देखभाल तथा पालन पोषण करने की महिलाओं की क्षमता पर नियंत्रण, उनकी शारीरिक गतिविधियों (जैसे-पर्दी) पर लगाई गई पांचिदियां और प्रायः महिला हीनता की वैचारिक समझ में उनकी अधीनता प्रकट होती है। अधीनता के विशेष रूप ग्रामीण परिवारों के अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग तरह के होते हैं। गरीब किसान तथा खेतिहार मजदूरों के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, तथा कृषि में हुए परिवर्तन का उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की जरूरत है। हरित क्रांति शुरू होने के पहले तक दक्षिण एशिया में भूमिहीन और गरीब किसान परिवार को महिलाओं ने अपने परिवारों की आजीविका और कल्याण के लिए अपने सामान पारिवारिक कर्तव्यों और पारिवारिक आयों में योगदान के जरिए बहुमूल्य भूमिका अदा करती रहीं, लेकिन प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने उनके आय अर्जित करने और परिवार के निर्वहर की उनकी क्षमता पर गंभीर अतिक्रमण किया है। अधिकतर भूमिहीन महिलाएं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और उनकी आय अर्जित करने की सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा सूखी जमीन और वर्षा पर आधारित कृषि वाले क्षेत्रों में ज्यादा बुरी तरह नष्ट हुई है।

महिला कृषियों पर हरित क्रांति का ठोस प्रभाव, जमीन के आकार, स्वामित्व के तरीकों और मजदूरों के इस्तेमाल इत्यादि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या महिलाओं ने श्रम उत्पादकता और आय वृद्धि के नए अवसरों की सुविधा हासिल की है। बड़े भू-स्वामियों और जोतदार परिवारों की महिलाओं पर हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जबकि छोटे जोतदार परिवारों की खेतिहार महिलाओं की जिंदगी में इससे कोई खास बदलाव नहीं आया है या तो कुछ खास कामों को समाप्त करके या फिर महिलाओं को हाशिए पर पड़े कामों की ओर धकेलकर इस परिवर्तन ने उनके विकल्पों को सीमित कर दिया



है। इस स्तर पर पुरुष कृषिकों की तुलना में महिला विस्थापन ज्यादा हुआ है। अन्य मामलों में, अधिक उत्पादक किस्म की प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने आय के स्तर को सुधारे बिना महिला और पुरुष दोनों ही तरह के अस्थायी श्रमिकों के रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दिया है।

व्यापक पैमाने के ग्रामीण कार्यक्रमों के द्वारा लाए गए संगठनात्मक और संस्थागत को ढांचे परिवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बने। कृषि की पद्धति में व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी एजेंसियों से सीधा संपर्क शामिल है। इन सब पर के पुरुषों का आधिपत्य है, महिलाओं के लिए तो ये नए हैं। दरअसल, कुछ निश्चित सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण प्रायः इन संस्थाओं में महिलाओं का पुरुषों से संपर्क और आमना-सामना सीमित रहा है। महिलाओं की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी और उनके कामों के बोझ को कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले खेती के कामों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी तौर पर बहुत कम कोशिश की गई है। उत्तम तौर पर पुरुष ही नई प्रौद्योगिकी और नए कौशल से लाभान्वित हुए हैं। सांस्कृतिक मूल्य व बंधन भूमि जैसे अन्य संसाधनों पर महिलाओं के नियंत्रण को सीमित करते हैं और उन्हें और अधिक संसाधनों की मांग करने से रोकते हैं।

इसके साथ-साथ वे किसान जो खेती में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अपनी आय और की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत को महसूस करते थे, उन्होंने उपलब्ध विस्तार सेवाओं (tension Services) को शीघ्र हासिल करने का प्रयास किया जिससे कृषि के क्षेत्र में नए संसाधन, कौशल, सूचना और तकनीक के इस्तेमाल में मदद मिली। पंजाब के संदर्भ में जमीन पुनर्स्थापन (resettlement) योजनाओं को इस तरह से लागू किया गया कि जमीनों की मिलियत परिवार के पुरुष मुखिया के हाथों में गई। महिलाओं द्वारा संचालित परिवारों की स्थिति जमीन पुनर्स्थापन (resettlement) के मामले में पहले से कहीं अधिक खराब थी, हालांकि हरित क्रांति के पश्चात उन परिवारों ने अब आर्थिक और भौतिक साधन, अच्छे घर और केंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवाएं तथा बच्चों के लिए सरकारी शिक्षा की सुविधा प्राप्त की है।

कृषि श्रम शक्ति से ग्रामीण महिला कार्य शक्ति के विस्थापन को कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से उत्पन्न महिला और पुरुष असमानता के आधार पर समझा जा सकता है। महिला कार्य शक्ति के पास या तो कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी या उनके पास कम या पुरानी प्रौद्योगिकी थी। इस विस्थापन के दो प्रभाव देखे गए। पहला, महिला कार्य शक्ति को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाया गया और दूसरा महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों के सहायक के बौतर सीमित कर दिया गया। अर्थात् सिंचाई के लिए पंप सेट का इस्तेमाल, गेहूं के लिए थ्रेशर, टैक्टर और गेहूं साफ करने वाली मशीनों के इस्तेमाल के साथ महिला श्रम शक्ति को रोज़गार से बाहर फेंक दिया गया।

इस प्रकार, मशीनीकरण के प्रथम चरण में महिलाओं को बेदखल कर दिया गया, हालांकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाएं इससे अलग-अलग तरह से प्रभावित हुईं। कुछ के लिए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई तो कुछ के लिए कमी। रोज़गार में कमी के महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े, चाहे उसने महिलाओं के लिए खाली समय को बढ़ाया है या उन रोज़गारों का नुकसान किया जो कुछ महिलाओं के जीवन के लिए अति जरूरी होते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह श्रम शक्ति से स्वैच्छिक तरीके से बाहर रहने का मामला हैं या जबर्दस्ती विस्थापन का मशीनीकरण का तब सकारात्मक प्रभाव हो सकता है जब यह महिलाओं के कृषि कार्य को तकनीक के इस्तेमाल से आसान करता हो या जरूरतमंद महिला श्रमिकों के लिए रोज़गार में बढ़ोत्तरी करता हो, और नकारात्मक तब होता है जब जरूरतमंद महिला श्रमिकों के रोज़गार के अवसरों को कम करता है।

हालांकि यह चिह्नित किया गया है कि आंशिक मशीनीकरण के जरिए विकसित कृषि प्रौद्योगिकी ने हर तरह की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, चाहे उच्च या मध्य जातियों के उच्च सामाजिक-आर्थिक तबके की महिला कृषिकों को या जिनकी आय का स्तर ऊँचा है और जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, उनको कृषि कार्य से मुक्त करके, दूसरी तरफ उन महिलाओं के लिए रोज़गार बढ़ाकर जो सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ी जातियों तथा दलित तबके से थीं और जिनका संबंध न्यूनतम आय समूहों से था और जिनके पास या तो कम उपजाऊ / गैर-आर्थिक जमीनें थीं, उन्हें कृषि श्रमिकों के बौतर काम करने के लिए मजबूर किया गया। कृषि के पूर्ण मशीनीकरण का समाज के उच्च सामाजिक-आर्थिक तबके की महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृषि कार्यों से खींचा तथा बच्चों के लिए उपयोग उन क्षेत्रों में किया जहां उनके जीवन स्तर में सुधार के निश्चित संकेत थे। दूसरी तरफ इसने निम्न आय समूहों (जो या तो भूमिहीन थे या जिनके पास गैर आर्थिक (uneconomic) जमीनें थीं) के लोगों के मौजूदी रोज़गार में कटौती करके नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस प्रकार ये महिलाएं हाशिए पर धकेल दी गईं। हाशिए पर धकेले जाने की प्रक्रिया का पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों पर ज्यादा बुरा असर हुआ। गतिशीलता वप्रशिक्षण के अवसरों के अभाव में आधुनिक क्षेत्र में उनके रोज़गार के अवसर कम हुए।

बीना अग्रवाल (1984) के अनुसार कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन के प्रभाव से जुड़े लिंग विभेदों (gender Mifferences) का विश्लेषण महिलाओं और पुरुषों के बीच शुरुआती भिन्नता के आधार पर किया जाना चाहिए। पहला, कृषि कार्य में उनकी भागीदारी की प्रकृति तथा दूसरा, गैर कृषि कार्य में उनकी भागीदारी की प्रकृति और सीमा, जिसमें पशुपालन, घरेलू काम और बच्चों की देखभाल इत्यादि शामिल हैं, और तीसरा परिवार की शाय और उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण की पद्धति पर उनके नियंत्रण की सीमा। यह अंतर स्वभाव से सामान्य होता है, और आर्थिक के साथ-साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर होता है। वह अंतर घर और किसी भी समाज के बाहर श्रम के मौजूदा लैंगिक विभाजन (sexual division) तथा नियमों को भी निर्धारित करता है। यात नियमों के अनुसार, घर के अंदर घरेलू काम व बच्चों की देखभाल करना महिलाओं की प्राथमिक और मुख्य जिम्मेदारी होती है, तथा घर के बाहर इन्हें कुछ निश्चित कृषि कार्यों तक ही सीमित रखता है। बाकि कामों से उन्हें अलग रखा जाता है।



अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 1979 की एक रिपोर्ट के अनुसार समस्त भारत में यदि महिलाओं की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का कुल लेखा—जोखा किया जाए जो पता चलता है कि बाजार और गैर बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओं के काम के घटे ज्यादा हैं, खासकर ग्रामीण भारत में उनके कार्य की प्रकृति और उसकी लंबी अवधि ने मूलभूत आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को उठाया है। ये मुद्दे किसी भी अर्थव्यवस्था और समाज में पुरुषों और महिलाओं के मौजूदा श्रम विभाजन और उसके अंतर्गत तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास की वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए हैं। कृषि के आधुनिक तौर तरीकों ने महिलाओं की हिस्सेदारी को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण महिला कार्य शक्ति का उत्तरोत्तर विस्थापन हुआ है और उनकी गतिविधियों में कमी आई है। पश्चिमी मॉडल कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से महिलाओं द्वारा की जाने वाली दैनिक मजदूरी का काम प्रभावित हुआ है। तकनीकी खोजों द्वारा जो, सुधार लाए गए, वे लाभ तथा काम की स्थितियों दोनों हिसाब से जैंडर पूर्वग्रहों पर आधारित और फलस्वरूप उनके स्त्रियों और पुरुषों पर अलग—अलग तरह के प्रभाव हुए हैं। इस प्रकार महिला कार्य शक्ति न्यूनतम कौशल के साथ सीमित हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा उबाऊ, अत्यावश्यक और उत्पादन किया में कम भुगतान वाले काम करवाए जाते हैं।

जिन जिलों में हरित क्रांति के कारण कृषि का विकास हुआ, उनसे संबंधित एक और भी रोचक तथ्य है, जिसके परिणामस्वरूप खेतों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। कृषि कार्य में तकनीकों के इस्तेमाल बढ़ने के साथ किसान समाज में अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो गए। चूंकि महिलाएं उनके लिए उनकी समाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक (status symbol) होती हैं, इसलिए वे नहीं चाहते कि उनकी महिलाएं खेती के काम में लगें। यह भी देखा गया है कि खेती में हिस्सेदारी भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्देशित होती है, और इसके आधार पर कृषि समाज को इन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है एक, जिन परिवारों के पास भूमि है और दूसरा, जिनके पास भूमि नहीं है। यद्यपि दोनों समझौतों की खेती में हिस्सेदारी होती है लेकिन फिर भी वहां इसके तरीके और पहुंच में अंतर होता है। जिन महिलाओं के पास भूमि है। वो उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, और उनकी भागेदारी वैसे कामों में ज्यादा रही जो घर बैठे ही किए जा सकते हैं। भूमिहीन परिवारों की महिलाएं निम्न सामाजिक—आर्थिक तबके से संबंधित हैं और मूलतः दलित हैं। पंजाब की कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिकतर दलित तबके से ही है। वह दूसरों की जमीनों पर खेती का काम करती हैं, बदल में उन्हें नकद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह की महिलाएं भूस्वामी परिवारों की महिलाओं की अपेक्षा बीज बोने उसे एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर रोपने, खुदाई कटाई, जमीन की सफाई, फसलों की खेतों से भंडारण स्थल तक दुलाई और गन्ना छीलने के कामों में ज्यादा हिस्सेदारी करती हैं। इस प्रकार चारा कटाई, भू कटाई और उसकी तैयारी, पशुगृह तक उसकी दुलाई जैसे शारीरिक श्रम वाले काम भूस्वामी परिवारों की अपेक्षा भूमिहीन परिवारों की महिलाएं प्रायः अधिक करती हैं।

उदारीकरण की नीतियों ने विशेष तौर से भारत की ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित किया है। 1991 में 1971 और 1981 की तरह ही लगभग 87 प्रतिशत ग्रामीण और 20 प्रतिशत शहरी महिलाएं कृषि का काम करती थी। मुख्य रूप से खेत पर निर्भर शारीरिक श्रम करने के बावजूद निर्णय प्रक्रिया जैसी गतिविधियों में या तो उनकी कोई भूमिका नहीं होती है या बहुत कम होती है। यद्यपि हाल के वर्षों में भारतीय कृषि में श्रम शक्ति की महिलाकरण (Feminization) की प्रवृत्तियों पर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन यहां भी महिलाएं ज्यादातर पारंपरिक फसलों और कामों तक ही सीमित हैं। जिन क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी और नए बाजारों से संबंधित काम होते थे महिलाओं को उससे भी बाहर रखा गया और उनके काम को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया गया।

चूंकि महिलाएं मुख्यतः कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं इसलिए उर्वरकों की किस्म में सुधार का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सरला गोपालनन अपने शोध में उन क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनमें 8.42 करोड़ महिलाएं कार्यरत हैं। अर्थात् 71 प्रतिशत महिलाएं कृषि में, 10.56 प्रतिशत पशुपालन और मुर्गीपालन में 7.73 प्रतिशत सेवाओं (services) में 2.98 प्रतिशत निर्माण और मरम्मत कार्य में तथा 2.6 प्रतिशत व्यापार कार्यरत हैं। प्रवीण विसारिया ने ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्षेत्रवार रोजगार आंकड़ा पेश किया है। उनके मुताबिक भारत में 84.7 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि पशुपालन, मछली पालन तथा बन से संबंधित कामों में, 6.9 प्रतिशत उत्पादन का (manufacturing) में 27 प्रतिशत निर्माण कार्य में और 3 प्रतिशत सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में कार्यरत हैं। शहरी भारत में 29.4 प्रतिशत महिला कृषि में 27.1 प्रतिशत, दस्तकारी में 11.3 प्रतिशत, वस्त्र उद्योग में 8 प्रतिशत, खाद्य संस्करण में 3.7 प्रतिशत, निर्माण कार्य में 9.4 प्रतिशत, फुटकर व्यापार और होटलों तथा सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं में 26.6 प्रतिशत कार्यरत हैं। ग्रामीण समाज में हुई समग्र तब्दीलियों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हरित क्रांति ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन जैंडर संबंधी पक्षपात तथा कुछ खास तबकों के प्रति भेदभाव के कारण इसकी सीमाएं भी हैं। प्रौद्योगिकी की निष्पक्षता के दावे के बावजूद इसकी प्रकृति अपीर भूस्वामी वर्ग तथा पुरुष श्रमशक्ति के अनुकूल रही है। शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा मृत्युदर के स्तर और उसके अनुरूप महिलाओं की स्थिति से यह बात साबित हो जाती है। जीवन से संबंधित उनके अधिकार, वैज्ञानिक तकनीकी दुनिया में उनके लिए प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मूल क्षेत्रों में उनकी वंचना और उनके साथ होने वाले भेदभाव में महिलाओं संबंधित मानवाधिकार का भारी उल्लंघन निहित है। वर्तमान में यह ढाँचागत सुधार कार्यक्रम की नीतियों के दबाव स्वरूप सरकार के जरिए ही रहा है। वर्चस्व और अधीनता का संबंध राजनीतिक संबंध है, जो उत्पादन की संरचना और स्थितियों से भौतिक आजीविका और उस परंपरा तथा संस्कृति से मान्यता (legitimacy) प्राप्त करता है जो महिलाओं की अधीनता को जायज ठहराता है।

भारत में महिलाओं की श्रमशक्ति दर अपेक्षाकृत कम है। 1991 के जनगणना के अनुसार मात्र 22.7 प्रतिशत महिलाएं श्रम शक्ति में शामिल थीं। उसके बाद कुल महिला श्रमिकों का 27.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि 9.7 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं।



नई बीज उर्वरक तकनीक की व्यापकता के कारण पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्रम कार्यों में उनकी भागेदारी बढ़ी है। इससे जोखिम भरे कामों में महिला श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। गैरकृषि क्षेत्र में पुरुषों के बढ़ते रोजगार के कारण भी महिलाला श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप पुरुष श्रम की अपेक्षा महिला श्रम वास्तविक पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है जबकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का श्रम लागत (input) और मजदूरी आज भी कम है। कृषि से संबंधित काम और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ महिला कृषकों और महिला श्रमिकों को परिवार में स्थिति को मजबूत करने से पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा परिवार की आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की देखभाल और आहार पर, पोषकर परिवार को कन्या शिशु के लिए इस्तेमाल करती हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अधिकार बदलने, उनकी सुविधानुसार तकनीकों की खोज, महिला एक्स्टेंशन (extension) श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, उनके शिक्षण-प्रशिक्षण, उनके द्वारा चलाए वाले सहकारी बचत (thrift), संस्थाओं के सशक्तीकरण और इस तरह के अन्य कदमों द्वारा महिलाएं नए-नए अवसरों का लाभ अच्छी तरह उठा सकती हैं।

आमतौर पर हरित्न क्रांति में अच्छी किस्म के बीजों, खेती की नई प्रौद्योगिकी, सिंचाई की बेहतर सुविधा तथा रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कृषि श्रमिकों और दैनिक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा सिर्फ पैदावार में वृद्धि और निकौनी (weeding) की जरूरत के कारण नहीं बल्कि कृषि का विकास, बटाईदारों के खाले और भूस्वामियों द्वारा स्वयं खेती करने से भी हुआ। वहाँ तुलनात्मक रूप से पुरुषों की अपेक्षा महिला कृषि श्रमिक ज्यादा हैं। 1981 के जनगणना के मुताबिक कुल ग्रामीण महिला श्रमिकों के आधे की अपेक्षा का एक चौथाई पुरुष श्रमिक खेतिहर मजदूर हैं। हालांकि पुरुष और महिला दैनिक मजदूरों की मांग तो बढ़ी है लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है।

इसलिए यहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि का तात्पर्य जीवनस्तर में वृद्धि नहीं है। दरअसल, भेदभावपूर्ण मजदूरी के कारण महिला श्रमिकों को अधिक घंटे खेत में काम करना पड़ता है। और इस प्रकार उन पर पुरुषों की अपेक्षा काम का बोझ अधिक होता है। के बावजूद आमतौर समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act) पर महिलाओं को, पुरुषों को मिलने वाली मजदूरी का 40 से 60 प्रतिशत ही मिलता है, जबकि निकौनी, अनाज दुलाई तथा कटाई जैसे ज्यादा से ज्यादा काम उनसे लिए जाते हैं। नेशनल कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वूमेन (National Committee on Status off Women, 1974) ने ठीक ही कहा है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी तथा अन्य कौशल के अभाव ने महिलाओं को पूरी तरह से वंचित बना दिया है।

जेंडर न्याय (Gender Justice) का दावा मुख्य रूप से महिलाओं का कृषि के विकास में योगदान और महिलाओं की स्थिति पर उसके प्रभाव की ओर ध्यान केंद्रित करता है। दरअसल, प्रत्येक विकास नीति, योजना या परियोजना का महिलाओं पर प्रभाव पड़ता है, और बिना महिलाओं के योगदान के वह सफल भी नहीं हो सकता है। जेंडर न्याय का विकास तत्काल यह मांग करता है, महिलाओं को अच्छे कामों के अवसर प्रदान करने लायक कदम उठाए जाएं, इसके लिए वैसे दुःसाध्य कामों को समाप्त करना होगा, जिसके कारण सैकड़ों मिलियन महिलाएं घरेलू और कृषि से जुड़े कामों को छोलने के लिए बाध्य हैं: रचनात्मक तथा आर्थिक विकास से जुड़े कामों का निष्पक्ष/स्पष्ट बंटवारा कि जाए।

महिलाएं प्रत्येक, जगह विकास में हिस्सेदारी करती हैं। लेकिन प्रायः उनकी स्थिति उन्हें शिक्षा, रोजगार के प्रशिक्षण, भूस्वामित्व, ऋण की सुविधाओं, व्यवसाय के अवसरों और यहाँ तक कि (जैसा कि मृत्युदर से संबंधित आंकड़े से स्पष्ट होता है) पौष्टिक आहार तथा आजीविका से जुड़े अन्य आवश्यकताओं के मामले में उन्हें बराबरी हासिल करने से रोकती है। उत्पादन पर आधारित समाजों के विकास तथा पूंजी के उपयोग (चाहे उस पर सामाजिक या निजी स्वामित्व ही क्यों न हो) ने समाज में महिलाओं और पुरुषों के कामों विभिन्न आकलनों के अंतर को और अधिक बढ़ाया है। ज्यादातर आविष्कारों तथा प्रौद्योगिकी सुधारों को पुरुषों से संबंधित कामों में ही लागू किया गया जिसने पुरुषों की वर्चस्वशाली भूमिका को और भी अधिक बल प्रदान किया। ऐसा इसलिए, क्योंकि शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के मामले में महिलाओं को समान अवसर ही प्राप्त हैं।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bina Aggarwal, 1994, "A Field of One's Own: Gender and Land Rights in South Asia," Cambridge University Press, Cambridge.
2. Bina Aggarwal, 1984, Rural Women and the High Yielding Variety Rice Technology in India, in Economic and Political Weekly, 31 March, A 39-52.
3. Sarla Gopalan, 1995, "Women and Employment in India," Har-Anand Publications, New Delhi, pp. 45-47.
4. N. Rao, Rurup & R. Sudarshan, 1996, ed., Sites of Change: The Structural Context of Empowering Women in India" FES, UNDP.
5. Praveen Visaria & Rakesh Basant, 1994, "Non-Agricultural Employment in India," Sage Publications, New Delhi, pp. 86-87.

\*\*\*\*\*